

[ 2014 ] 3 एस. सी. आर 359

पूर्व. सैनिक सुरक्षा सेवा पी. लिमिटेड।

बनाम

भारत संघ और अन्य

( 2014 की दीवानी अपील संख्या 2876 )

26 फरवरी, 2014

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्तिगण]

प्रशासनिक कानून:

सुरक्षा नीति - प्राकृतिक न्याय - हवाई अड्डा - ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी - राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा मंजूरी वापस ली गई - अभिनिर्धारित: राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है, यह कानून का प्रश्न नहीं है - यह नीति का मामला है - यह तय करना न्यायालय का काम नहीं है कि कोई चीज राज्य के हित में है या नहीं - इसे कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए - राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, कोई भी पक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन पर जोर नहीं दे सकता - ऐसे मामलों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वैधानिक बहिष्करण को पढ़े और उसके लिए प्रावधान करे, यदि क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है - अपीलकर्ता को पाँच वर्ष की अवधि के लिए दी गई सुरक्षा मंजूरी पहले ही समाप्त हो चुकी है - इस न्यायालय के लिए अधिक तथ्यात्मक विवरण और गुण-दोष पर विचार करना अनावश्यक हो गया है।

वर्तमान अपील उत्तरदाताओं द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, पटना सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर जेट एयरवेज़ को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए अपीलकर्ता कंपनी की सुरक्षा मंजूरी वापस लेने के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी थी। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था: क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कोई

उचित प्रतिबंध, सीमा या अपवाद अनुमेय होगा।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कुछ अपवाद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सामान्यतः सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक एकजुटता और मजबूती, पारिस्थितिक संतुलन, सांस्कृतिक सामंजस्य, बाह्य शांति आदि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है, यह कानून का प्रश्न नहीं है। यह नीतिगत मामला है। यह तय करना न्यायालय का काम नहीं है कि कोई बात राज्य के हित में है या नहीं। इसे कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। [कंडिका 11,15 और 16] [365-बी; 367-सी और डी]

*गृह विभाग के लिए राज्य सचिव बनाम रहमान (2003) 1 एसी 153; लोक सेवा संघ परिषद और अन्य बनाम लोक सेवा मंत्री (1985) एसी 374; जमोरा (1916) ॥ एसी 77 - संदर्भित।*

प्रशासनिक कानून, 10 वां संस्करण, एच. डब्ल्यू. आर. वेड और सी. एफ. फोर्सिथ, पृष्ठ-468-470-संदर्भित।

1.3 राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, कोई भी पक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन पर जोर नहीं दे सकता है। ऐसे मामलों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, तो वैधानिक बहिष्करण को पढ़े और प्रदान करे। विशेष मामलों के तथ्यों के आधार पर, हालांकि, न्यायालय के लिए यह खुद को संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा कि क्या न्यायसंगत तथ्य थे, और उस संबंध में, न्यायालय को फाइलों को बुलाने और यह देखने का अधिकार है कि क्या यह एक ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हित शामिल है। एक बार जब राज्य का यह रुख हो जाता है कि इस मुद्दे में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, तो न्यायालय प्रभावित पक्ष को कारणों का खुलासा नहीं करेगी। [कंडिका जी 17] [367-एफ-एच]

1.4 दिनांक 17.04.2007 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को पाँच वर्ष की अवधि के लिए दी गई सुरक्षा मंजूरी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस दृष्टि से, इस न्यायालय के लिए अपील के गुण-दोष के आधार पर अधिक तथ्यात्मक विवरण और विचार करना अनावश्यक हो गया है। [कंडिका 18 और 19] [368-ए और सी]

#### मामला कानून सन्दर्भ

(1985) एसी 374 को	कंडिका 12	को संदर्भित किया गया
(1916) ॥ एसी 77	कंडिका 13	को संदर्भित किया गया
(2003) 1 एसी 153	कंडिका 16	को संदर्भित किया गया

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 60/2010 पर पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 27.04.2010 के निर्णय एवं आदेश से।

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2014 की दीवानी अपील सं. 2876।

अपीलकर्ता की ओर से समीर अली खान।

उत्तरदाताओं की ओर से अतुल नंदा, रमीजा हकीम, अमोल एन. सूर्याशी, परिणय टी. वासंदानी, लॉ एसोसिएट्स, सुषमा सूरी।

न्यायालय का निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री कुरियन**, द्वारा दिया गया।

#### 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. प्राकृतिक न्याय एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग का सिद्धांत है। इसके लिए आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों के हित न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित होने वाले हैं, उन्हें निर्णय लेने से पहले निष्पक्ष और उचित सुनवाई मिले। यह सिद्धांत भारत के संविधान के भाग III के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों में निहित है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस सिद्धांत पर कोई उचित प्रतिबंध, सीमा या अपवाद अनुमेय है, यही वह मुद्दा है जिस पर हमें

इस मामले में विचार करने के लिए कहा गया है।

3. अपीलकर्ता को देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर विभिन्न एयरलाइनों की ओर से ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का व्यवसाय प्रदान किया गया था। ग्राउंड हैंडलिंग सेवा केंद्र सरकार से सुरक्षा मंजूरी के अधीन है। वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 5 सरकार को हवाई अड्डों के अनुज्ञप्ति, निरीक्षण और विनियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और इस प्रकार, वायुयान नियम, 1937 बनाए गए हैं। नियम 92 ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए है। नियम इस प्रकार है:

"92. ग्राउंड हैंडलिंग सेवा- अनुज्ञप्तिधारक, स्वयं भूमि संचालन सेवा प्रदान करते समय, हवाई अड्डे पर एयरलाइन ऑपरेटर को बिना किसी प्रतिबंध के, किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता को नियुक्त करने की अनुमति देकर एक प्रतिस्पर्धी माहौल सुनिश्चित करेगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा ऐसी सेवा प्रदान करने की अनुमति है:

बशर्ते कि ऐसा ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता केंद्र सरकार की सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा।"

( जोर दिया गया)

4. सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (जिसे आगे 'बीसीएएस' कहा जाएगा) का गठन किया। बीसीएएस द्वारा जारी परिपत्र संख्या 4/2007 दिनांक 19.02.2007 के अनुसार, किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी को बीसीएएस से पूर्व सुरक्षा मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी भी हवाई अड्डे पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपीलकर्ता कंपनी को 17.04.2007 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षा मंजूरी प्रदान की गई थी। इस मंजूरी के आधार पर, अपीलकर्ता कंपनी ने पटना सहित विभिन्न हवाई अड्डों में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए जेट एयरवेज के साथ एक अनुबंध किया।

27.11.2008 को, अपीलकर्ता कंपनी को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय हित में सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली गई है। अपीलकर्ता कंपनी ने इसे पटना उच्च न्यायालय में दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 758/2009 में चुनौती दी थी। उक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का निपटारा 25.03.2009 के निर्णय द्वारा किया गया, जिसमें बीसीएस को निर्णयोत्तर सुनवाई का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता को सूचना के स्रोत का खुलासा किए बिना, सुरक्षा मंजूरी वापस लेने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया था, उन्हें प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार, बीसीएस ने दिनांक 20.04.2009 को आदेश पारित किया, जिसमें यह माना गया कि फ़ाइल में उपलब्ध दस्तावेज़ 'गोपनीय' श्रेणी के हैं और उन्हें अपीलकर्ता के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, सुरक्षा मंजूरी वापस लेने संबंधी दिनांक 27.11.2008 के आदेश की पुष्टि की गई। अपीलकर्ता ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 27.10.2009 को निर्णय पारित हुआ।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने फाइलें मंगवाईं और उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया। एकल न्यायाधीश के अनुसार, "जो जानकारी उपलब्ध है वह कार्रवाई के समर्थन में एक माफीनामा है। ऐसी किसी भी आकस्मिक कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे पूर्व-निर्णयात्मक सुनवाई से बचा जा सके"। न्यायालय का यह भी मानना था कि जहाँ भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई किसी व्यक्ति पर नागरिक परिणामों के साथ की जाती है, वहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा, जब तक कि ऐसी प्रक्रिया किसी कानून द्वारा अपवर्जित न हो। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी माना कि यदि न्यायोचित तथ्य मौजूद हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो कोई भी, न्यायालय तो दूर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन पर प्रतिकूल नागरिक परिणामों वाली कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में जोर नहीं दे सकता ।'

6. विद्वान एकल न्यायाधीश का यह भी मत था कि कम से कम आरोपों का सार तो

प्रकट किया ही जाना चाहिए ताकि प्रभावित पक्ष को सुनवाई के समय उससे परिचित होने का अवसर मिल सके। ऐसा कोई उचित कारण न होने पर, आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका स्वीकार कर ली गई।

7. अंतर-न्यायालय अपील में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी फाइलें मंगवाईं और उनका गहन अध्ययन करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि फाइलों में और भी कई सामग्रियाँ उपलब्ध थीं जिन्हें राष्ट्रीय हित में अपीलकर्ता के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता था और इसलिए, यह आक्षेपित कार्रवाई उचित थी। यह माना गया कि:

"... विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीलबंद लिफाफे में आरोपों का अवलोकन करने के बाद, उन्हें लगता है कि उन्होंने इसे इस आधार पर गंभीरता से नहीं लिया है कि आरोप राजनेताओं आदि को खुश करने के लिए थे, जो वास्तव में सही नहीं हैं। प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद, हम पहले ही कह चुके हैं कि इसमें और भी कई बातें हैं और सुरक्षा के मूल तत्व इसमें अंतर्निहित हैं। प्रतिवेदन प्रतिकूल प्रकृति की है। इसे अप्रासंगिक कारकों पर आधारित नहीं कहा जा सकता। हमें लगता है कि सुरक्षा उपायों और जनहित से संबंधित कोई भी उचित प्राधिकारी ऐसा दृष्टिकोण अपना सकता है। प्रतिवेदन में विभिन्न क्षेत्रों पर जोर दिया गया है और इसका संचयी प्रभाव यह अपरिहार्य निष्कर्ष है कि यह सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है जैसा कि प्राधिकारी ने समझा है। यह न्यायालय इसकी अवहेलना नहीं कर सकता और इसे इस तरह अस्थिर या खारिज नहीं कर सकता मानो वह किसी अपील पर निर्णय दे रहा हो।"

( जोर दिया गया)

और इस प्रकार, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपील की अनुमति दी गई।

8. इस प्रकार व्यथित, अपीलकर्ता हमारे सामने हैं।

9. दिनांकित 17.05.2010 के आदेश द्वारा, नोटिस जारी करते समय, यह न्यायालय ने खंड पीठ के आक्षेपित निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

10. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने फाइलों का अवलोकन करने के बाद एक दृष्टिकोण अपनाया है और खंडपीठ ने पूरी फाइलों का अवलोकन करने के बाद, जिनमें से कुछ पर विद्वान एकल न्यायाधीश का ध्यान नहीं गया था, जिसको पुनः देखा है। हम इस न्यायालय के लिए आक्षेपित तर्कों या उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विभिन्न विचारों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हम पाते हैं कि विधि के सिद्धांत पर, उच्च न्यायालय, चाहे वह विद्वान एकल न्यायाधीश के माध्यम से हो या खंडपीठ के माध्यम से, एक ही दृष्टिकोण रखता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, यदि न्यायोचित तथ्य हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो कोई भी पक्ष प्रतिकूल कार्रवाई करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन पर जोर नहीं दे सकता है और न ही कोई न्यायालय इस पर जोर दे सकता है। यद्यपि अलग-अलग शब्दों में, पूरी फाइलों का अवलोकन करने के बाद, यह वही सिद्धांत है जिसे खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय में पुनः प्रस्तुत और दोहराया है।

11. अब यह स्थापित कानून है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कुछ विशेष अपवाद हैं, हालाँकि सर विलियम वेड<sup>1</sup> के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कोई भी प्रतिबंध, सीमा या अपवाद "केवल एक मनमानी सीमा" है। आगे उद्धृत :

"निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के सर्वोपरि विचारों के आगे झुकना पड़ सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस आवश्यकता को तब पहचाना जब सरकारी संचार मुख्यालय के लोक सेवकों, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाओं को संभालना था, को अचानक सेवा की नई शर्तों के अधीन कर दिया गया,

---

<sup>1</sup>प्रशासनिक कानून, 10<sup>th</sup> संस्करण, एच.डब्ल्यू.आर. वेड और सी.एफ. फोर्सिथ, पृष्ठ-468-470.

जिनमें राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता प्रतिबंधित थी। एक स्थापित प्रथा की अवहेलना करते हुए, न तो उनसे और न ही उनके यूनियनों से परामर्श किया गया, और यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न होता, तो न्यायालयों में उनकी शिकायत को प्राकृतिक न्याय के आधार पर बरकरार रखा जाता। अंततः जो कारक प्रबल हुआ वह यह खतरा था कि परामर्श की प्रक्रिया स्वयं ही आगे की हड़तालों, वाकआउट, ओवरटाइम प्रतिबंधों और आम तौर पर उस तरह के व्यवधानों को जन्म देती, जो कुछ समय पहले संचार मुख्यालय को त्रस्त कर चुके थे और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। चूँकि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, इसलिए प्राकृतिक न्याय को रास्ता देना होगा।

हालाँकि, क्राउन को न्यायालय को यह विश्वास दिलाना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। इस लगातार दोहराए जाने वाले कथन के बावजूद कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को ही राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का एकमात्र निर्णायक होना चाहिए', न्यायालय इस बात के प्रमाण पर जोर देगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मुद्दा उठता है, और उसके बाद ही वह क्राउन की इस राय को स्वीकार करेगी कि उसे किसी कानूनी अधिकार पर वरीयता दी जानी चाहिए। ... "

( जोर दिया गया)

12. कौंसिल ऑफ सिविल सर्विस<sup>2</sup> यूनियन और अन्य बनाम मिनिस्टर फॉर थे सिविल सर्विस , हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर था। पृष्ठ-402 पर, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

.. किसी विशेष मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएँ निष्पक्षता के दायित्व से

अधिक महत्वपूर्ण हैं या नहीं, यह निर्णय सरकार का है, न्यायालयों का नहीं: आवश्यक जानकारी तक केवल सरकार की ही पहुँच है। और किसी भी मामले में, न्यायिक प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन यदि निर्णय को इस आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती दी जाती है कि यह एक अनुचित प्रक्रिया द्वारा लिया गया है, तो सरकार का यह दायित्व है कि वह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करे कि निर्णय वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया था...।"

( जोर दिया गया)

13. द जमोरा<sup>3</sup> के प्रिवी काउंसिल, पृष्ठ-107 पर निम्नानुसार आयोजित की गई:

".. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को ही राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का एकमात्र निर्णायक होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अवांछनीय होगा कि ऐसे मामलों को न्यायालय में साक्ष्य का विषय बनाया जाए या सार्वजनिक रूप से अन्यथा चर्चा की जाए।"

14. अल्फ्रेड क्रॉम्पटन एम्यूजमेंट मशीन्स बनाम सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त (सं. 2)<sup>4</sup> में लॉर्ड क्रॉस के अनुसार:

"... ऐसे मामले में जहाँ प्रकटीकरण के पक्ष और विपक्ष में विचार काफी हद तक संतुलित प्रतीत होते हैं, मुझे लगता है कि न्यायालयों को सार्वजनिक हित और संबंधित विभाग के प्रमुख पर विश्वास के आधार पर विशेषाधिकार के दावे को बरकरार रखना चाहिए कि वह गैर-प्रकटीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए जो कुछ भी

---

3(1916) द्वितीय एसी 77.

4(1974) एसी 405, पृष्ठ- 434.

कर सकते हैं, ...।"

15. राष्ट्रीय सुरक्षा को सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन है। हालाँकि, इसमें सामान्यतः सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक एकजुटता और मजबूती, पारिस्थितिक संतुलन, सांस्कृतिक सामंजस्य, बाह्य शांति आदि शामिल हैं।

16 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है, यह कानून का प्रश्न नहीं है। यह नीति का विषय है। यह तय करना न्यायालय का काम नहीं है कि कोई चीज़ राज्य के हित में है या नहीं। इसे कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट बनाम रहमान<sup>5</sup> 5 में लॉर्ड हॉफमैन के कथन अनुसार:

"... राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कानून का प्रश्न नहीं है। यह निर्णय और नीति का विषय है। यूनाइटेड किंगडम और अधिकांश अन्य देशों के संविधान के तहत, यह निर्णय कि कोई चीज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है या नहीं, न्यायिक निर्णय का विषय नहीं है। इन्हें कार्यपालिका को सौंपा गया है।"

17. इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, कोई भी पक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन पर जोर नहीं दे सकता। ऐसे मामलों में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वैधानिक बहिष्करण को पढ़े और उसके लिए प्रावधान करे, यदि उस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। हालाँकि, विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर, न्यायालय स्वयं यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्या उचित तथ्य थे, और इस संबंध में, न्यायालय को फाइलें मंगवाने और यह देखने का अधिकार है कि क्या यह ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हित शामिल है। एक बार जब राज्य का यह मानना हो जाए कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, तो न्यायालय प्रभावित पक्ष को कारणों का खुलासा नहीं करेगा।

18. जैसा भी हो, तथ्यों के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलकर्ता को दिनांक 17.04.2007 के आदेश द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए दी गई सुरक्षा मंजूरी पहले ही समाप्त हो चुकी है। उद्धृत :

"मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि कंपनी की पृष्ठभूमि की जाँच की गई है और कोई भी प्रतिकूल बात नहीं पाई गई है। कंपनी की सुरक्षा मंजूरी इस पत्र की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जिसके अंत में इस ब्यूरो से नया अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।"

( जोर दिया गया )

19. इस मामले के परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय के लिए अपील के गुण-दोष के आधार पर अधिक तथ्यात्मक विवरण और विचार करना अनावश्यक हो गया है। तदनुसार, इसका निस्तारण किया जाता है।

20. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अपील का निपटारा किया गया।

आर. पी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।